

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 871

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं को वित्तीय सहायता

871. श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

- (क) क्या सरकार ने अविवाहित महिलाओं, निराश्रितों और विधवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा उक्त महिलाओं को उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी गई है/प्रदान करने का विचार है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री  
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती केंद्र सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। हालांकि, केंद्र सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और एकल महिला, निराश्रित और विधवाओं सहित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है।

(ख) और (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है जो एमएसएमई की ऋण, प्रौद्योगिकी, बाजार विकास, क्षमता निर्माण आदि की जरूरतों को पूरा करती हैं। महिला उद्यमियों को विभिन्न मंचों के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाओं पर अधिक ध्यान देने वाली कुछ योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

समर्थ पहल: मार्च 2022 में मंत्रालय ने "समर्थ पहल" की घोषणा की, जिसके तहत प्रति वर्ष निम्नलिखित लक्ष्य होंगे:

- मंत्रालय की विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के तहत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी।
- मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे जाने वाले व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का 20% महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए समर्पित है;

- मंत्रालय एनएसआईसी की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट प्रदान करता है;
- उद्यम पंजीकरण के तहत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।

**सार्वजनिक खरीद नीति:** भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद नीति के माध्यम से यह अधिदेश दिया है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 3% महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदेंगे। महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से वर्तमान खरीद 1.26 प्रतिशत (लगभग 15,000 महिला उद्यमियों से) है।

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:** यह प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपने स्वयं के उद्यम शुरू करने के इच्छुक सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण-लिंकड सब्सिडी कार्यक्रम है। महिला आवेदकों को सामान्य आवेदकों की तुलना में अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। महत्वाकांक्षी महिला उद्यमी इस कार्यक्रम से तेजी से लाभान्वित हो रही हैं। पिछले आठ वर्षों के दौरान 1.83 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के तहत सहायता प्राप्त की और सूक्ष्म उद्यमी बनीं।

**सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएमएसई) भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख रुपये (01.04.2023 से प्रभावी) की सीमा तक के जमानत-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें महिलाओं को ऋण के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज है, जबकि सामान्य दर 75% है। मौजूदा और नए दोनों उद्यम इस योजना के तहत कवर होने के लिए पात्र हैं।

**जेडईडी प्रमाणन:** एमएसएमई मंत्रालय की एमएसएमई सतत (जेडईडी) प्रमाणन योजना के तहत, उद्यम पोर्टल में पंजीकृत सभी महिला स्वामित्व वाले विनिर्माण एमएसएमई 11 नवंबर, 2023 से जेडईडी प्रमाणन की लागत पर 100% (मुफ्त) सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

**महिला कॉयर योजना (एमसीवाई):** महिला कॉयर योजना कॉयर विकास योजना का एक उप-घटक है। एमसीवाई 100% महिला उन्मुख और गहन दो महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कॉयर क्षेत्र में लगी ग्रामीण महिलाओं को परिष्कृत मशीनरी/उन्नत तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके और इस तरह वे रोजगार में आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्यक्रम के तहत, महिला लाभार्थियों को कॉयर कताई में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें वजीफा दिया जाता है। इसके बाद प्रशिक्षुओं को अपने स्वयं के सूक्ष्म कॉयर उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ऋण के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कॉयर उद्योग में लगी 11,000 से अधिक महिला कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया।

उद्यमिता विकास, प्रबंधन विकास, बाजार विकास, कौशल विकास आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से **क्षमता निर्माण** उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश भर में स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) प्रशिक्षण केंद्रों, टूल रूम, प्रौद्योगिकी/विस्तार केंद्रों के माध्यम से लगभग 3 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

स्फूर्ति योजना के तहत, जुलाई 2019 से महिला बहुमत (यानी 50% से अधिक प्रतिनिधित्व वाले) वाले 80 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है।

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएं, जैसे क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धी योजना, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट (जेडईडी), प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना, एमएसई-क्लस्टर विकास आदि भी महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित एमएसएमई को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का विवरण <https://www.msme.gov.in> पर उपलब्ध है।

केंद्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) है जिसके अंतर्गत लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूह हैं जिनके लगभग 10 करोड़ सदस्य हैं, जो रोजगार/स्वरोजगार के लिए ग्रामीण परिदृश्य को बदल रहे हैं। इसी तरह, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा, रोजगार/स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसी तरह, सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को कार्यान्वित करती है। इन दोनों योजनाओं ने महिलाओं और लड़कियों को नौकरियों और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में भी मदद की है।

"मिशन शक्ति" की छत्र योजना के तहत शक्ति सदन घटक विशेष रूप से निराश्रित और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की सेवा के लिए बनाया गया है। ऐसे गृहों के निवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण शक्ति सदन घटक के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक है। इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन (181) जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24 घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया है उन्हें उपयुक्त अधिकारियों से संबद्ध करके देश भर में महिला कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देती है।

\*\*\*\*\*